GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF HOME AFFAIRS

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 3271

TO BE ANSWERED ON THE 01STJANUARY, 2019 / PAUSHA 11, 1940 (SAKA)
MAKING PARLIAMENT MULTILINGUAL

PIP 11/01.2019/11 TIP

3271. SHRI D.K. SURESH:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether the Government has taken note that making the Rajya Sabha and Lok Sabha multilingual and inclusive is the need of the hour as we are living in the globalised world;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether the Government has taken any efforts to make both the Houses of Parliament multilingual and inclusive;
- (d) if so, the details thereof; and
- (e) if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU)

(a) to (e): As per Article 120 of the Constitution, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English; provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or person acting as such, as the case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother-tongue. As per section 3(1) (b) of the Official Languages Act, 1963, 'Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used in addition to Hindi for the transaction of business in Parliament'.

भारत सरकार गृह मंत्रालय लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3271

दिनांक 01.01.2019/11 पौष, 1940 (शक) को उत्तर के लिए

संसद को बहुभाषी बनाना

†3271. श्री डी॰के॰ सुरेशः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संज्ञान लिया है कि राज्य सभा और लोक सभा को बहुभाषी और समावेशी बनाना समय की आवश्यकता हैं क्योंकि हम वैश्विक जगत में रह रहे हैं;

threw beetledots out at enful

- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने संसद के दोनों सदनों को बहुभाषी और समावेशी बनाने के लिए कोई प्रयास किए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (इ.): संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा; परंतु यथास्थिति, राज्य सभा का सभापित या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ख) के अनुसार, 'संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालाविध की समाप्ति हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही, संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए प्रयोग में लायी जाती रह सकेगी।'
